संख्या-64/2019/1281/सैंतीस-2-2019-1(25)/18टीसी

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-13 मई, 2019

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1759/बजट/29(5)/30/14/2019-20, दिनांक-30.03.2019 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-47/2019/894/सैंतीस-2-2019-1(25)/18टीसी, दिनांक-16.04.2019 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-106-अन्य पशुधन विकास-03-राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में प्राविधानित रू0-136.96 लाख (रूपये एक करोड़ छत्तीस लाख छियान्नवे हजार मात्र) की धनराशि इस प्रतिबन्ध के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-24/2017/वे.आ.-2-1149/दस-04(एम)/2016, दिनांक-22.12.2017 में अंकित निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-106-अन्य पशुधन विकास-03-राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-64/2019/1281(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in